प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1 जिला भ्र.नि.ब्यूरो. जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या.....285...../2022 दिनांक....15/7/2022.....

2. (I) **अधिनियम**....धारायें:-7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120 बी भादसं
(II) **अधिनियम** .....धारायें .....
(III) अधिनियम ..... धारायें .....
(IV) **अन्य अधिनियम एवं धारायें** .....

3. (अ) **रोजनामचा आम रपट संख्या** .....283..... **समय** 5:40 pm
(ब) **अपराध घटने का वार**.....बुधवार.....दिनांक 13.07.2022 **समय** 05.10 पीएम
(स) **थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक** 11.07.2022

4. **सूचना की किस्म :- लिखित/मौखिक**- लिखित

5. **घटनास्थल** :- निवास स्थान श्रीमती गीतादेवी, चैयरमैन, नगर पालिका, कांमा, कल्याण मौहल्ला, कांमा, जिला भरतपुर।
(अ) **पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- बजानिब** पूर्व-उत्तर दिशा में करीब 240 कि0मी0
(ब) पता निवास स्थान श्रीमती गीतादेवी, चैयरमैन, नगर पालिका, कांमा, कल्याण मौहल्ला, कांमा, जिला भरतपुर।
.....**बीट संख्या**.....**जयरामदेही सं**.....
(स) **यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो**
पुलिस थाना .....**जिला** .....

6. **परिवादी / सूचनाकर्ता :-**
(अ) **नाम:-** श्री राजाराम सिंह
(ब) **पिता/पति का नाम:-** श्री करन सिंह
(स) **जन्म तिथी/वर्ष वर्ष**.....**उम्र** 33 साल.....
(द) **राष्ट्रीयता:-** भारतीय
(य) **पासपोर्ट संख्या:- जारी होने की तिथि** ....**जारी होने की जगह** .....
(र) **व्यवसाय:-** मजदुरी
(ल) **पता:-** निवासी ग्राम उमरा तहसील डीग जिला भरतपुर।

7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :-**
1. श्री भगवान दास खण्डेलवाल पुत्र श्री होतीलाल निवासी 37, कल्याण मौहल्ला, कस्बा कामां, जिला भरतपुर हाल चैयरमैन पति, नगर पालिका, कांमा जिला भरतपुर।
2. श्री श्याम बिहारी पुत्र श्री रामगोपाल, निवासी 394, छींगटी मौहल्ला जारगा, तहसील बसेडी, हाल अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कांमा जिला भरतपुर।
3. श्री हरिसिंह पुत्र स्व0 श्री छीदाराम, उम्र 34 साल, जाति जाटव, निवासी ग्राम बिलोंद, पुलिस थाना कांमा, जिला भरतपुर हाल प्राईवेट चालक
4. अन्य

8. **परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण**

9. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)**
रिश्वती राशि 1,32,000/-रूपये

10. **चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य :-** रिश्वती राशि 1,32,000/-रूपये।

11. **पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)** .....

12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-**

सेवामें,
श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
विशेष अनुसंधान इकाई
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर
विषय-- रिश्वत मांगे जाने की रिपोर्ट दर्ज कराये जाने बाबत

महोदय,

मैं राजाराम, भरतपुर मै फर्म श्री करन क. कम्पनी का प्रोपराइटर हूँ तथा भरतपुर में P.W.D व नगरपालिकाद्वारा स्वीकृत ठेकों पर ठेकेदारी का काम करता हुँ नगरपालिका कांमा मे मुझे आठ काम खुले थे जिसमें एक कार्य बरामदा R.C.C का था व छः कार्य सी.सी. निर्माण के थे जो कि छः कार्य पूर्ण हो चुके हैं। एवम R.C.C बरामदा में फर्श का कार्य बाकी है। और एक कार्य नगरपालिका कामां में कैंशिल कर दिया था। उक्त सभी टेण्डर दिनांक 3/06/21 को कार्यालय अधिषाशी अधिकारी नगरपालिका कामां द्वारा मुझे स्वीकृत किये गये थे। उक्त कार्य पिछले वर्ष ही मेरे द्वारा पूर्ण कर दिये गये थे। तथा मेरे द्वारा कुल छयासठ लाख रूपये का कार्य किया गया था और उसमें से मैने लगभग बासठ लाख रूपये के बिल भुगतान हेतु पेश कर दिये थे। जिसमे से मेरे को दिनांक 8/07/22 से पहले तक उन्तीस लाख रूपये बिल का भुगतान हो चुका है। बाकी बकाया है। दिनांक 08/07/22 को बत्तीस हजार पांच सौ पिच्चानवे--32595 और 99681--रूपये भुगतान के रूप में मेरे खाते में आये, नगरपालिका कामां की चैयरमैन गीता देवी खण्डेलवाल अपने पति श्री भगवान दास जो ज्यादातर चैयरमैन का काम करता है। व समझता है। के माध्यम से मेरे खाते जो एक लाख बत्तीस हजार दिनांक 08/07/22 को आये है। को पूर्ण ही रिश्वत के रूप में मांग रहे है। तथा कह रहे है। कि बाकी के बिल तभी पास होगे जब ये पैसे मुझे लाकर दे दोगे। मेरी बाकी भुगतान की पत्रावली घर मंगवा ली है। चैयरमैन ने। नगर पालिका कामां के अधिषाशी अधिकारी श्री श्याम बिहारी जी भी मेरे उक्त भुगतान की एवज मे तीन प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि चार हजार रूपये की मांग कर रहे हैं। मैं नगर पालिका चैयरमैन, उसके पति भगवान दास एवम E.O साहब को रिश्वत की राशि नहीं देना चाहता। इनको रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुँ। मेरी इन लोगों से कोई लेन देन उधार बकाया नही है। और कोई पुरानी रंजीश भी नही है। अतः कानूनी कार्यवाही करे।

एसडी
राजाराम प्रार्थी
श्री राजाराम सिंह पुत्र श्री करन सिंह
नि0 ग्राम उमरा त0 डीग जिला भरतपुर
(राज0) मोब0--9001700326

--::-- कार्यवाही पुलिस :--

दिनांकः-- 11.07.2022
समय :-- 9.30एएम

इस समय श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर ने मन् निरीक्षक पुलिस रघुवीर शरण को अपने कार्यालय में तलब कर परिवादी श्री राजाराम सिंह पुत्र श्री करन सिंह निवासी ग्राम उमरा तहसील डीग जिला भरतपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् निरीक्षक पुलिस के नाम पृष्ठांकित आदेश कर आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए कहा कि परिवादी श्री राजाराम सिंह ने उक्त प्रार्थना दिनांक 09.07.2022 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया था। आप परिवादी से सम्पर्क कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करें। मन निरीक्षक पुलिस ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राप्त कर अवलोकन किया एवं निर्देशानुसार परिवादी श्री राजाराम सिंह से उसके मोबाइल नम्बर 9001700326 पर स्वयं के मोबाइल से सम्पर्क कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में परिवादी से पूछताछ करने पर परिवादी ने जरिये दूरभाष प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित होना बताया। साथ ही पूछताछ पर परिवादी ने यह भी अवगत कराया कि मेरी चैयरमेन पति श्री भगवान दास एवं श्री श्याम बिहारी, अधिशाषी अधिकारी से कोई आपसी रंजिश नहीं है एवं ना ही इन दोनों लोगो से कोई पूर्व का उधार का लेन देन बकाया है। श्री भगवान दास नगर पालिका, कांमा की चैयरमेन श्रीमती गीतादेवी के पति है एवं चैयरमेन से सम्बन्धित सभी सरकारी काम काज स्वयं देखता है। परिवादी से की गई मजीद पूछताछ एवं प्रार्थना पत्र के अवलोकन से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है। जिसका ट्रैप कार्यवाही से पूर्व सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है।

दिनांक 11.07.2022 को ही परिवादी श्री राजाराम सिंह ने दूरभाष पर वार्तालाप के दौरान बताया कि मैं आज ही संदिग्ध व्यक्तियों से रिश्वती राशि मांग के सम्बन्ध में बातचीत कर गोपनीय सत्यापन करा दूंगा। इस पर संदिग्ध व्यक्ति/लोकसेवक द्वारा परिवादी से की जा रही रिश्वती राशि की मांग का गोपनीय सत्यापन ब्यूरो में प्रचलित प्रक्रियानुसार करवाये जाने हेतु परिवादी से हुई वार्ता के क्रम में श्री मनीष सिंह, कानि0 486 को कार्यालय से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मंगवाकर उसमें मेमोरी कार्ड लगाकर उसके संचालन की प्रक्रिया की समझाईश कर उसे परिवादी श्री राजाराम सिंह से सम्पर्क कर उसके बताये अनुसार भरतपुर रेल्वे स्टेशन पर मिलकर उसके साथ जाकर रिश्वती राशि मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु रवाना किया। दिनांक 11.07.2022 को संदिग्ध श्री भगवानदास के मीटिंग हेतु भरतपुर आने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन नहीं हुआ, दिनांक 12.07.2022 को परिवादी श्री राजाराम सिंह द्वारा दोनों संदिग्ध श्री भगवान दास चैयरमेन पति एवं श्री श्याम बिहारी, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, कांमा जिला भरतपुर से नगर पालिका कार्यालय कांमा में सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। बाद सत्यापन दिनांक 13.07.20.22 श्री मनीष सिंह, कानि0 486 मय परिवादी श्री राजाराम सिंह के एसीबी कार्यालय जयपुर उपस्थित हुआ एवं डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत करते हुए परिवादी श्री राजाराम से संदिग्ध श्री भगवान दास, चैयरमेन पति द्वारा 1.32 लाख रूपये एवं श्री श्याम बिहारी, अधिशाषी अधिकारी द्वारा 4,000/–रूपये की रिश्वत की मांग किया जाना अवगत कराया। श्री मनीष सिंह, कानि0 द्वारा प्रस्तुत डीवीआर को सरसरी तौर पर सुने जाने पर रिश्वती राशि मांग की पुष्टि हुई। डीवीआर को आईन्दा ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करने हेतु सुरक्षित आलमारी में रखवाया गया। परिवादी श्री राजाराम सिंह के उपस्थित आने पर उसे पुनः उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के बारे में पूछताछ करने पर उसने पूर्व के तथ्यों को दोहराते हुए दोनों संदिग्ध व्यक्ति/लोकसेवक से रिश्वती राशि की मांग के सम्बन्ध में हुई वार्तालाप से अवगत कराते हुए आज ही रिश्वत राशि दिये जाने बाबत अवगत कराया। परिवादी श्री राजाराम सिंह द्वारा रिश्वत राशि दिनांक 13.07.2022 को ही दिये जाने से ट्रैप कार्यवाही का आयोजन किये जाने के लिए दो स्वतंत्र गवाहान जरिये तहरीर तलब किये, जिस पर श्री देशान्त सारस्वत, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, झालाना डूंगरी, जयपुर एवं श्री रोहिताश गुर्जर, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, झालाना जयपुर को तलब कर दोनों स्वतंत्र गवाहान का परिवादी से परिचय करवाकर उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना का अवलोकन कराया। दोनों गवाहान द्वारा परिवादी श्री राजाराम सिंह से बातचीत कर उसके शिकायत से सन्तुष्ट होकर ट्रैपकार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्रदान की। इसके पश्चात ट्रैप की अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए परिवादी श्री राजाराम सिंह पुत्र श्री करन सिंह उम्र–33 साल जाति–जादौन निवासी ग्राम उमरा तहसील डीग जिला भरतपुर ने अपने पास से आरोपी श्री भगवान दास को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि एक लाख बत्तीस हजार रूपये जिनमें पांच पांच सौ रूपये के 264 नोट एवं आरोपी श्री श्याम बिहारी, अधिशाषी अधिकारी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि चार हजार रूपये जिनमें पांच पांच सौ रूपये के 8 नोट कुल 1,36,000/–रू0 निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये। रिश्वती नोटों के नम्बरों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 BS 298288
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 UE 522323
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 QL 734492
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 GV 170923
5.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 TK 207056
6.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 EH 351595
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 MB 408353
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 BM 868321
9.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 LR 614650
10.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 EB 283931
11.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 MM 320122
12.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 SN 529421
13.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 TP 551749
14.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 TS 305239
15.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 MV 631601
16.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 QF 232054
17.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 BV 652628

18.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 GA 376685
19.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 AN 685696
20.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 CR 677328
21.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 ET 762275
22.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 CE 434821
23.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 SM 997151
24.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 MV 763472
25.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 UR 021568
26.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 PE 048736
27.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 EL 205216
28.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 GA 376690
29.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 GA 376691
30.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 VF 698930
31.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 UR 151221
32.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 WN 259082
33.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 NF 380748
34.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 NK 028812
35.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 TM 224410
36.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 MC 155128
37.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 BL 344261
38.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 RA 403265
39.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 WE 124760
40.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 AK 276761
41.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 VE 792716
42.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 RR 815114
43.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 RW 230863
44.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 QW 620371
45.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 BQ 257969
46.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 BS 702462
47.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 AA 616825
48.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 AK 219397
49.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 KS 462714
50.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 UL 464895
51.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 PV 278070
52.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 SV 447426
53.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 EC 299226
54.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 CA 814762
55.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 LK 493614
56.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 SV 575254
57.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 VB 565177
58.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 AV 980613
59.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 WA 313864
60.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 WE 887228
61.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 AQ 004847
62.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 EP 527334
63.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 KS 697375
64.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 TG 762084
65.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 VU 524192
66.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 BP 560414

67.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 KR 101995
68.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 EQ 744807
69.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 AE 095687
70.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 UC 149621
71.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 GD 541961
72.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 ND 160154
73.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 MQ 064295
74.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 PE 338356
75.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 LG 702193
76.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 QH 970766
77.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 MK 368015
78.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 RU 421096
79.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 AR 684458
80.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 MB 780168
81.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 MQ 962536
82.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 AU 911498
83.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 UQ 213754
84.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 BQ 269852
85.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 PA 639990
86.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 TW 649419
87.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 AV 394951
88.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 MT 136742
89.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 CA 901350
90.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 LH 258874
91.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 PC 858941
92.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 HE 506050
93.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 KS 858095
94.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 PP 250283
95.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 EP 792718
96.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 VK 491559
97.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 CU 804703
98.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 RR 248200
99.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 DD 239878
100.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 NW 425348
101.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 UU 863714
102.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 FG 901112
103.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 RL 384641
104.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 DW 517692
105.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 CQ 208209
106.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 ED 303452
107.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 UT 221029
108.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 WL 356245
109.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 GR 767752
110.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 AE 811746
111.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 KE 610108
112.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 MF 959327
113.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 DB 164981
114.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 KA 840429
115.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 RS 105584

116.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 RW 597615
117.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 NT 404613
118.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 DH 214115
119.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 QL 354288
120.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 LQ 574346
121.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 MQ 025870
122.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 ER 974249
123.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 RG 600737
124.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 NN 719628
125.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 FF 472479
126.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 FH 435215
127.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 TM 560341
128.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 MP 404883
129.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 KL 699415
130.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 BR 351195
131.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 PD 286265
132.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 NN 799612
133.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 MG 843036
134.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 AE 694492
135.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 RF 505419
136.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 MN 090577
137.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 CF 131255
138.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 QS 979656
139.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 DD 057315
140.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 BS 422527
141.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 NM 511585
142.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 DW 931150
143.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 EE 999375
144.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 LD 688044
145.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 GM 524374
146.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 KK 553011
147.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 BF 209210
148.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 MK 460612
149.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 EA 798856
150.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 FT 840501
151.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 TN 701773
152.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 EW 748020
153.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 UQ 893817
154.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 SW 516981
155.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 FV 382833
156.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 SW 926457
157.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 KL 893205
158.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 WH 080048
159.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 RC 094679
160.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 PC 945953
161.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 CT 166305
162.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 MR 331429
163.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 LM 883557
164.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 WA 428287

165.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 BL 453571
166.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 MA 844772
167.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 BL 956831
168.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 AU 913890
169.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 LD 314457
170.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 WR 919332
171.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 TG 337068
172.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 DV 107744
173.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 RB 810677
174.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 QM 554945
175.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 FV 802624
176.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 UC 024611
177.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 QF 110443
178.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 FG 286672
179.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 EG 833276
180.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 MR 617332
181.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 DD 500101
182.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 KQ 359070
183.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 BW 838108
184.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 DH 386049
185.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 GF 254835
186.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 FE 508819
187.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 PM 986492
188.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 EE 328061
189.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 BV 428207
190.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 PL 507060
191.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 SA192922
192.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 QF 578574
193.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 GK 426481
194.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 DA 341597
195.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 MU 238660
196.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 AM 315967
197.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 DT 792002
198.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 FF 120952
199.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 WL 877065
200.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 NN 160716
201.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 BR 625233
202.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 DG 227211
203.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 HC 787550
204.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 QA 950288
205.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 RP 697057
206.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 CB 760894
207.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 EL 401489
208.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 CB 508841
209.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 MW 080702
210.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 RN 752382
211.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 EU 318618
212.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 FA 286716
213.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 KV 487180

214.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 ND 510911
215.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 BL 190204
216.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 UV 264006
217.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 BB 058015
218.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 BT 238909
219.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 AC 867128
220.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 TC 128912
221.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 QT 621001
222.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 FT 507106
223.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 GN 144607
224.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 MQ 072640
225.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 VQ 673153
226.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 KP 753424
227.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 BT 653200
228.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 FS 987268
229.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 AE 725939
230.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 BV 473202
231.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 NS 593626
232.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 KW 382355
233.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 SG 168409
234.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 RW 004956
235.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 CU 200327
236.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 AN 313491
237.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 QW 086059
238.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 EF 193264
239.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 CM 197646
240.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 PL 293681
241.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 PR 264428
242.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 NL 826994
243.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 SB 296214
244.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 EC 003088
245.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 CN 008659
246.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 RA 818270
247.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 LH 190783
248.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 VG 793548
249.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 EC 683596
250.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 HM 140176
251.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 DA 346038
252.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 KG 712056
253.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 ER 605951
254.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 VH 124906
255.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 RN 228494
256.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 BC 871554
257.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 DH 958690
258.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 VT 233404
259.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 UR 141350
260.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 CG 914760
261.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 KM 817189
262.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 AE 624115

263.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 EP 480643
264.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 ST 701818

आरोपी श्री श्याम बिहारी, अधिशाषी अधिकारी को दी जाने वाली राशि के नोटों के नम्बरों का विवरण निम्नानुसार है :–

1	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 KR 872754
2	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 TD 058484
3	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7EG 770253
4	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 CG 996141
5	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 KT 448870
6	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 RH 682524
7	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 DD 684080
8	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 BA 019889

उक्त समस्त नोटों को पृथक–पृथक अखबार पर रखकर श्री हिमान्शु शर्मा, कनिष्ठ सहायक विअनुई,भ्रनिब्यूरो, जयपुर से नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री रोहिताश कुमार से परिवादी की जामा तलाशी लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल व अपनी कार की चाबी के अलावा अन्य कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात् श्री हिमान्शु शर्मा, कनिष्ठ सहायक से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त राशि में से आरोपी श्री भगवान दास को देने हेतु पांच पांच सौ रूपये के 264 नोट कुल 1,32,000/–रू0 एवं आरोपी श्री श्याम बिहारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पांच–पांच सौ रूपये के 8 नोट परिवादी की बांयी जेब में रखवाये गये एंव परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को जब तक नही छुयेगा तब तक कि रिश्वत मांगने वाले अधिकारी रिश्वत के रूप में मांग नही करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उसे देवें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि आरोपीगण रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखते हैं अथवा कहां छिपाते हैं, का भी ध्यान रखे और रिश्वत राशि उसे देने से पूर्व एंव बाद में उनसे हाथ नहीं मिलावें, दूर से ही अभिवादन करे। परिवादी को आरोपीगण के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद मन् निरीक्षक पुलिस अथवा ट्रेप पार्टी के सदस्य श्री मनीष सिंह, कानि.के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल या कॉल कर या सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत देने का ईशारा करे। इसके पश्चात दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व आरोपीगण के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। इसके बाद एक कांच के गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया जिसका रंग अपरिवर्तित ही रहा जिसे सभी उपस्थितगणों ने अपरिवर्तित होना बताया। उक्त गिलास के घोल में श्री हिमान्शु शर्मा, कनिष्ठ सहायक के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवायी गयी तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपीगण उक्त पाउडर लगे नोटों को छुयेगें तो उसके हाथो में यह पाउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया एंव फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को वापस श्री हिमान्शु शर्मा, कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया तथा पावडर लगाने वाले श्री हिमान्शु शर्मा, कनिष्ठ सहायक के दोनों हाथों को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाये गये। जिस अखबार पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसे भी जलवाकर नष्ट करवाया गया। इसके बाद परिवादी, गवाहान एंव ट्रैप पार्टी के सदस्यो के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रैप बाक्स में रखी खाली शिशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी को पूर्व में रिश्वत मांग सत्यापन के समय काम में लिया गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर कार्यालय की अलमारी से सुरक्षित बाहर निकाल कर डिजीटल वॉइस रिकार्डर आरोपीगण एंव उसके मध्य रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द किया। इसके पश्चात ट्रैप से पूर्व की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण की जाकर मन निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री राजाराम सिंह, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं स्टाफ श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, श्री अमित ढ़ाका, कानि0 489, श्री मनीष सिंह, कानि0 486, श्री देवेन्द्र सिंह, कानि0 334, श्री रमजान अली, कानि 466, श्री पन्नालाल, कानि0 09, श्रीमती निधि महिलाकानि0 86 मय ट्रैपबॉक्स, प्रिन्टर एवं लैपटॉप के जरिये दो सरकारी एवं परिवादी के निजी वाहन से एसीबी कार्यालय जयपुर से समय 12.15.पीएम पर रवाना होकर कस्बा कांमा स्थित नगर पालिका मण्डल कार्यालय के पास पहुंच, वाहनों को साईड में रूकवाकर संदिग्ध आरोपी श्री श्याम बिहारी, अधिशाषी अधिकारी की निगरानी हेतु श्री पन्नालाल,

कानि0 09 एवं श्री देवेन्द्र सिंह, कानि0 334 को आवश्यक समझाईश कर नगर पालिका कार्यालय के बाहर छोडा एवं मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के कस्बा कांमा में कल्याण मौहल्ला स्थित संदिग्ध आरोपी श्री भगवान दास खण्डेलवाल, चैयरमेन पति के निवास स्थान के पास पहुंच वाहनों को खड़ा करवाकर परिवादी को आवश्यक समझाईश आरोपी श्री भगवान दास से सम्पर्क कर उसे रिश्वत राशि देने के लिए रवाना किया। परिवादी के पीछे–पीछे श्री मनीष सिंह, कानि0 एवं उसके पीछे मन निरीक्षक पुलिस मय जाप्ता एवं गवाहान के संदिग्ध आरोपी श्री भगवान सिंह के मकान के आस–पास खड़े होकर परिवादी के निर्धारित इशारे के इंतजार में मुकिए हुए। समय 5.10 पीएम पर परिवादी श्री राजाराम सिंह द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 9001700326 से ट्रैपपार्टी के सदस्य श्री मनीष सिंह, कानि0 486 के मोबाइल नम्बर 70140–30770 पर कॉल कर रिश्वत राशि दिये जाने का मुकर्रर इशारा किये जाने पर श्री मनीष सिह, कानि0 ने मन् पुलिस निरीक्षक को सूचना से अवगत कराया जिस पर मन निरीक्षक पुलिस रघुवीर शरण मय श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस व स्टाफ सर्वश्री मनीष सिंह, कानि0 486, श्री अमित ढ़ाका,कानि0 489, श्री रमजान अली, कानि0 466, श्रीमती निधि महिला कानि0 86 मय दोनों स्वतंत्र गवाहान को साथ लेकर श्रीमती गीता चैयरमेन, नगर पालिका, कांमा जिला भरतपुर के मकान के मुख्य गेट के बाहर पहुंचा, जहां परिवादी श्री राजाराम सिंह उपस्थित मिला, जिसने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मन निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द करते हुए बताया कि मैंने चैयरमैन साहब के उक्त मकान में प्रवेश कर मकान प्रथम मंजिल पर पहुंचा जहां श्री भगवान दास जी चैयरमैन जी के पति एवं श्रीमती गीता देवी, चैयरमैन उपस्थित मिले, जिनसे मिलकर मैंने श्री भगवान दास, चैयरमेन पति को कहा कि हुकुम आपने कल पैसो के लिए कहा था तो मैं आज 1.32लाख रूपये लेकर आ गया हूं। इस पर श्री भगवान दास ने कहा कि ऐसा करो इसमें से पीछे से चार नोट निकाल लो 1.30 लाख रूप्ये का सीधा हिसाब हो जायेगा। जिस पर मैंने रिश्वती राशि 1,32,000/–रूपये में से चार नोट निकाल कर शेष 500–500रूपये के 260 नोट कुल 1,30,000/–रूपये बतौर रिश्वत श्री भगवानदास जी के हाथ में दे दिये जो उन्होंने अपनेदाहिने हाथ में लेकर उनके सौफे के सामने रखी सेंटर टेबल पर रख दिये। इसी बीच मौके पर उपस्थित श्रीमती गीतादेवी चैयरमेन ने कहा कि ये पैसे यहां क्यों लेकर आया है, ये तो दुकान पर ही दे देता। इसके बाद श्री भगवान दास ने आवाज देकर श्री हरिसिंह उर्फ हरिया को बुलाया तथा उसके आने पर उसे कहा कि ये पैसे ले जा। जिस पर श्री हरिसिंह ने उक्त 1,30,000/–रूपये की रिश्वती राशि के नोटों को टेबल से उठाकर नीचे रवाना हो गया। इसके कुछ देर बाद श्री हरिसिंह के पीछे मै भी नीचे रवाना हो गया। श्री हरिसिंह मुझे मुख्य गेट के बाहर खड़ा दिखा जिस पर मैंने श्री मनीष सिंह, कानि0 को कॉल कर सूचना दे दी। परिवादी ने मुख्य द्वार के सामने खड़ी कार के पास खडे एक युवक की ओर इशारा कर बताया कि यही श्री हरिसिंह है, जो अभी–अभी श्री भगवान दास जी द्वारा प्राप्त रिश्वती राशि को उनके कहने पर लेकर नीचे आया है। परिवादी द्वारा सुपुर्दशुदा डिजीटल वायस रिकार्डर को बंद कर आईन्दा फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करने हेतु सुरक्षित रखा। परिवादी के उक्त कथन पर श्री भगवान दास के मकान के मुख्य गेट के बाहर कार के पास खडे युवक के पास पहुंच उसे मन निरीक्षक पुलिस ने स्वयं एवं हमराहीयान का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम हरिसिंह पुत्र स्व0 श्री छीदाराम, उम्र 34 साल, जाति जाटव, निवासी ग्राम बिलोंद, पुलिस थाना कांमा, जिला भरतपुर हाल चालक श्री भगवान दास, चैयरमेन पति, निवासी कल्याण मोहल्ला, कांमा होना बताया। जिस पर श्री हरिसिंह को परिवादी की ओर इशारा कर पूछा कि आपने अभी अभी श्री राजाराम सिंह द्वारा श्री भगवान दास को दी गई रिश्वत राशि कहां रखी है, तो श्री हरिसिंह घबरा गया एवं कुछ नहीं बोला। पुनः तसल्ली देकर पूछा तो कहा कि मैंने कोई रिश्वती राशि नहीं ली है, ना ही मेरे सामने दी है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसपर श्री हरिसिंह के हाथ श्री मनीष सिंह, कानि0 से कलाई से पकड़वाकर उसे साथ लेकर मय हमराहीयान के श्री भगवानदास, चैयरमेन पति के मकान में प्रवेश कर परिवादी के बताये अनुसार प्रथम मंजिल पर पहूंचे। प्रथम मंजिल पर गेट खोलकर अंदर प्रवेश किया तो दो बुर्जुग महिलाओ सहित कुल तीन महिलाये एवं एक बच्चा उपस्थित मिला, जिसे मन निरीक्षक पुलिस ने स्वयं एवं हमराहीयान का परिचय देकर आने का प्रयोजन बताते हुए श्री भगवान दास के बारे में पूछा तो उनमें से एक महिला ने स्वयं को चैयरमैन होना बताते हुए कहा कि वो तो सुबह से ही कहीं गये हुए है,जिसपर उक्त महिला का उसका परिचय पूछने पर उसने अपना नाम श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री भगवान दास, चैयरमेन, नगर पालिका कांमा एवं एक बुजुर्ग महिला को स्वयं की माताजी तथा तीसरी महिला को स्वयं की पुत्रवधु रिचा तथा बच्चे भव खण्डेलवाल सुपोत्र होना बताया। श्रीमती गीतादेवी, चैयरमेन को पुनः श्री भगवान दास के बारे में पूछा तो कहा कि वो आज सुबह से ही घर पर नहीं है, कहीं गये हुए है। इस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री राजाराम सिंह ने श्रीमती गीतादेवी के कथन का खण्डन करते हुए कहा कि चैयरमेन साहिबा झूंठ बोल रही है, मैं अभी कुछ देर पहले ही श्री भगवान दास से मिलकर उनके द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर उनके कहेनुसार 1,30,000/–रूपये बतौर रिश्वत उन्हे दी थी, जो उन्होंने लेकर टेबल पर रख ली तथा श्री हरिसिंह को बुलाकर रिश्वत राशि उसे देकर नीचे भेजा था। इस पर उक्त मकान तथा मकान की छत से सटे अन्य

मकान पर आस पास श्री भगवान दास को तलाश किया लेकिन वे नहीं मिले। इसके बाद उक्त सभी महिलाओं के पास श्रीमती निधि महिला कानि0 को बैठाकर श्री हरिसिंह को साथ लेकर मकान के भू–तल (चौक में) आये तथा वहां आकर श्री हरिसिंह को पुनः रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उसने इंकार करते हुए कहा कि मुझे पैसो की कोई जानकारी नहीं है। इस पर मौके पर उपस्थित परिवादी ने श्री हरिसिंह की बात का खण्डन करते हुए कहा कि हरिसिंह झूंठ बोल रहा है इसने मेरे सामने श्री भगवान दास के बुलाये जाने पर उसके कहेनुसार रिश्वती राशि टेबल से उठाकर अपने हाथ में लेकर नीचे उतरा था, जिसक आने के बाद पीछे से मैं नीचे आया था। इस पर पुनः श्री हरिसिंह को तसल्ली देकर पूछने पर कहा कि अभी कुछ देर पहले राजाराम जी चैयरमेन साहब के पति भगवान दास जी से मिलने आये थे। मुझे भगवान दास जी ने आवाज देकर उपर बुलाया था। मेरे वहां जाने पर भगवान दास जी ने उनके सामने रखी सेंटर टेबल पर 500–500रूपये के रखे हुए नोटों की ओर इशारा कर कहा कि हरिया इन पैसो को ले जाकर नीचे रख दे, इस पर मैंने टेबल से पांच–पांच सौ रूपयों के नोटो की गड्डी को उठाकर नीचे आ गया। नीचे चौक में आकर मेरे रहने के कमरे के आगे खड़ी स्कूटी जिसके स्वीच में उसकी चाबी लगी हुई थी, से स्कूटी की सीट खोलकर उसकी डिक्की में उक्त राशि रख दी तथा चाबी वापस स्कूटी के आगे छोटी डिक्की (चाबी/पॉकेट रखने का स्थान) में रख दी तथा मैं मकान से बाहर आकर कार के पास आ गया था। पूछने पर श्री हरिसिंह ने कहा कि मुझे यह जानकारी नही है कि उक्त राशि श्री भगवान दास जी को किसने दिये तथा किस काम के दिये है, मुझे भगवान दास जी ने आवाज देकर बुलाकर यह राशि नीचे रखने के लिए कहा था, इसलिए उनके कहने से मैं यह रूपये उठाकर नीचे लाकर स्कूटी की डिक्की में रख दिये। मैं जब उपर गया तब भगवान दास के पास ठेकेदार जी भी बैठे थे। श्री हरिसिंह की कथन की ताईद हेतु स्कूटी की सीट की डिक्की को गवाह श्री देशान्त सारस्वत से खोल कर दिखवाये जाने पर गवाह ने डिक्की में 500–500 रूपये के नोटों की गड्डी रखी होना बताया। स्कूटी की सीट की डिक्की को वापस बंद करवाया गया।

चूंकि परिवादी श्री राजाराम सिंह से आरोपी श्री श्याम बिहारी, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कांमा द्वारा भी रिश्वत की मांग की जाकर आज ही रिश्वत राशि लेकर बुलाया गया है। इसलिए मन निरीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं जाप्ता एवं परिवादी श्री राजाराम सिंह के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये तथा परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने के लिए सुपुर्द किया गया। आरोपी श्री हरिसिंह एवं स्कूटी की डिक्की में रखी रिश्वती राशि की निगरानी हेतु श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, श्रीमती निधि महिला कानि0 एवं श्री मनीष सिंह, कानि0 को छोड कर मन निरीक्षक पुलिस मय गवाहान, परिवादी एवं जाप्ता के जरिये वाहर कल्याण मोहल्ला से समय 5.45 पर रवाना होकर नगर पालिका कार्यालय कांमा के पास पहुंच परिवादी श्री राजाराम को आरोपी श्री श्याम बिहारी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि देने के लिए रवाना किया तथा मन निरीक्षक पुलिस मय ट्रैपपार्टी नगर पलिका कार्यालय के आस पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए निर्धारित इशारे के इंतजार में मुकिम हुए। कुछ ही देर में परिवादी वापस मन निरीक्षक पुलिस के पास पहुंचा एवं बताया कि नगर पालिका कार्यालय में श्री श्याम बिहारी, ईओ साहब नहीं है। इस पर परिवादी को उसे फोन कर सम्पर्क करने की समझाईश की गई। जिस पर परिवादी ने अपने मोबाइल नम्बर 9001700326 से श्री श्याम बिहारी, ई.ओ. के मोबाइल नम्बर 9636286875 पर कॉल किया, तो श्री श्याम बिहारी ने कहा कि तुम ऑफिस रूको मैं आ रहा हूं। जिस पर श्री श्याम बिहारी के आने का इंतजार में मुकिम हुए। कार्यालय समय समाप्त होने तक भी श्री श्याम बिहारी के नगर पालिका कार्यालय नहीं आने पर उसे पुनः मोबाइल पर सम्पर्क करवाया गया लेकिन आरोपी श्री श्याम बिहारी का मोबाइल नम्बर स्वीच ऑफ कर लेने से वार्ता नहीं हो सकी। चूंकि आरोपी श्री भगवान दास के खिलाफ रिश्वत प्राप्त करने पर ट्रैप किये जाने से कार्यवाही का संदेह होने से आरोपी श्री भगवान दास मौके से फरार हो गया है तथा कार्यवाही की भनक कस्बा कांमा में हो जाने से आरोपी श्री श्याम बिहारी ने भी अपना मोबाइल स्वीच ऑफ कर लिया एवं फरार हो गया है। उसके द्वारा अब परिवादी से रिश्वत की राशि प्राप्त करने की संभावना नहीं होने से मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के नगर पालिका कार्यालय कांमा से पुनः कल्याण मोहल्ला स्थित चैयरमेन के निवास पर पहुंचा। इसके पश्चात् अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त मकान में से पीने का साफ पानी मंगवाया गया तथा दो साफ कांच के गिलासों को धुलवाकर उसमें पानी भरकर दोनों गिलासों में एक–एक चम्मच सौडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रकियानुसार घोल तैयार करवाकर हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग रंगहीन होना बताया। उक्त रंगहीन घोल के दोनों गिलासो के घोल में बारी–बारी से श्री हरिसिंह के दोनों हाथों की अंगुलियों, अंगुठा को अलग–अलग गिलास में डुबोकर धुलवाया तो दोनों हाथों की अंगुलियों के धोवण का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी ने गहरा गुलाबी होना

स्वीकार किया। उक्त दोनों गिलासों के धोवण को दो–दो अलग–अलग साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर दाहिने हाथ की अंगुलियों के धोवण का मार्क आर–1 व आर–2 तथा बांये हाथ की अंगुलियों के धोवण की शीशीयों को मार्क एल–1 व एल–2 से चिन्हित किया गया। इसके बाद श्री हरिसिंह के बताये अनुसार चौक में खड़ी स्कूटी जो हीरो इलेक्ट्रिक कम्पनी की नम्बर आरजे–05–एमएस–3566 है, की चाबी लेकर गवाह श्री देशान्त सारस्वत से उसकी सीट के नीचे की डिक्की खुलवाकर दिखवाया गया तो गवाह ने डिक्की में पांच–पांच सौ रूपयों की गड्डी रखी होना बताया जिसे गवाह से उठवाया जाकर गिनवाया जाने पर 500–500रूपये के 260 नोट कुल 1,30,000/–रूपये होना बताया। जिस पर दोनों गवाहान से उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान फर्द सुपुर्दगी से करवाया गया तो गवाहान ने सभी नोटों के नम्बरों का मिलान कर नंबर हूबहू होना बताया। उपरोक्त बरामदशुदा 1,30,000/–रू0 के नोटों को एक सफेद कागज की चिट में सिलकर सील्डचिट किया जा कर चिट पर सभी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद रिश्वती राशि 1,32,000/–रूपये में से शेष 2000/–रूपये के बारे में पूछने पर परिवादी ने अपनी पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखे होना बताया जिस पर गवाह श्री देशान्त सारस्वत से परिवादी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब की तलाशी लिवाई तो गवाह ने पांच–पांच सौ रूपये के 4 नोट कुल 2000/–रूपये होना बताया, जिनके नम्बरों का मिलान भी फर्द सुपुर्दगी से करवाने पर 1,32,000/–रू0 के नोटों में से जब्तशुदा रिश्वती राशि 1,30,000/–रूप्ये में से शेष रहे 4 नोटों के नम्बर हूंबहू होना बताया। उक्त 2000/–रूपये के चार नोट रिश्वत राशि में से आरोपी श्री भगवान दास के कहेनुसार परिवादी द्वारा अपने पास रख लिये गये को पृथक से एक सफेद कागज की चिट में सिलकर सील्डमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर जब्त किये गये। इसके बाद पुनः एक साफ कांच के गिलास में प्रकियानुसार सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर उक्त घोल में स्कूटी की डिक्की में जहां से रिश्वती राशि बरामद की गई, के स्थान को कपड़े के फोहे से साफ करवाकर फोहे को गिलास में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो शिशियों में आधा–आधा भरकर मार्क एस–1 व एस–2 से चिन्हित किया गया। इसी प्रकार रिश्वती राशि बरामद के स्थान का साफ करने में उपयोग लिये गये कपडे की चिंदी (फोहे) को एक सफेड कपडे की थैली में सिलकर सील्डमोहर कर मार्क "एससी" अंकित किया गया। इसके बाद पुनः एक गिलास में प्रकियानुसार सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार कर उक्त मकान के प्रथम मंजिल पर रखी सेंटर टेबल जिस पर श्री भगवान दास द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि 1,30,000/–रूपये प्राप्त कर रखी गई थी, के स्थान को एक कपडें की चिंदी (फोहे) से साफ करवाकर कर उसे गिलास में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी गंदमैला सो हो गया जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर सीलमोहर कर मार्क टी–1 व टी–2 अंकित किया गया। टेबल पर रिश्वती राशि रखे स्थान का साफ करने में उपयोग लिये कपडें की चिंदी को भी एक सफेद कपडे की थैली में सिलकर सील्डमोहर मार्क "टीसी" अंकित किया गया। कार्यवाही में लिये गये सभी धोवण की शिशियों के चिट व चस्पों पर तथा कपडें की चिंदी के सील्ड पैकेटों पर गवाहान एवं संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी ने उसे सुपुर्दशुदा डिजीटल वाईस रिकॉर्ड निकाल कर मन निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया, जिसे चला कर सरसरी तौर पर सुना गया तो आरोपी श्री भगवान दास एवं परिवादी के बीच रिश्वत के लेन देन के समय वार्ता होना पाया गया। जिसकी आईन्दा फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार किये जाने हेतु बंद कर सुरक्षित ट्रैपबॉक्स में रखवाया। चूंकि आरोपी श्री भगवान दास, चैयरमेन पति द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने पर की गई ट्रैप कार्यवाही के बारें में अब तक काफी लोगों को पता चल चुका है एवं चैयरमेन के निवास के सामने मौहल्ले में काफी लोगों इकट्टे हो चुके है, ऐसी स्थिति में अब आरोपी श्री श्याम बिहारी, अधिशांषी अधिकारी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है। आरोपी श्री श्याम बिहारी,ई.ओ. को दिये जाने के लिए परिवादी की पहनीं हुई पेंट की बांयी जेब में रिश्वती राशि 4,000/–रूपये रखवाये हुए है। परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री रोहिताश गुर्जर से लिवाई गई तो उसने परिवादी की पहनीहुई पेंट की बांयी साईड की सामने की जेब से 500–500रूपये के नोट निकाल कर पेश किये जिन्हे गिनवाने पर गवाह ने कुल 4000/–रूपये होना बताया। इन नोटों के नम्बरों का मिलान भी फर्द सुपुर्दगी से करवाने पर दोनों गवाहान से सभी 8 नोटों के नम्बर हूबहू होना बताया। उक्त 4000/–रूपये की रिश्वती राशि को अब श्री श्याम बिहारी, ई.ओ. द्वारा लिये जाने की सम्भावना नहीं होने से वापस परिवादी को लौटाये गये। मौके पर मौहल्ले में तमाशबीनों की काफी

भीड़ एकत्रित हो जाने से थानाधिकारी, पुलिस थाना कांमा को जरिये दूरभाष वार्ता कर इमदाद उपलब्ध करवाने के लिए कहा जाने पर थानाधिकारी श्री दौलत मय जाप्ता के उपस्थित आये। जिन्हें मौके पर उपस्थित भीड़ को हटाने एवं मौके से फरार आरोपी श्री भगवान दास, चैयरमेन पति का तलाश कर मन निरीक्षक पुलिस के समक्ष पेश करने हेतु निर्देश दिये। मौके पर मकान में मिली स्कूटी जिसकी डिक्की से रिश्वती राशि बरामद हुई, की चाबी पुनः स्कूटी में ही रखवायी जाकर उसे वहीं छोडा गया। आरोपी के मकान की तलाशी लेने हेतु अति.पुलिस अधीक्षक, एसीबी, भरतपुर को निवेदन किया गया, जिस पर वह दौराने कार्यवाही मय जाप्ता उपस्थित आये। इसके पश्चात् पुनः आरोपी श्री भगवान दास, चैयरमेन पति को उनके मकान की छत एवं आस पास के मकानों में तलाश किया लेकिन वे नहीं मिले। श्री भगवान दास, चैयरमेन पति को तलाश करने के दौरान उनके मकान की छत पर कुछ मूल पत्रावलियां पड़ी हुई मिली जिसे उठाकर देखने पर परिवादी श्री राजाराम सिंह की फर्म मैसर्स श्री करण कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कार्य संख्या–18, 19, 26 की मूल पत्रावलिया मय मूल बिल व माप पुस्तिका नम्बर 119, 120 तथा अन्य संवेदकों मैसर्स वीरेन्द्र बिल्डिंग सप्लायर्स, मैसर्स शौभीलाल जायसवाल की कार्य संख्या–2, कुण्ड पानी भराव व जीर्णोद्वार संबंधी पत्रावली, नाला निर्माण सत्संग भवन के पास से बेरीगेट तक वार्ड नम्बर–4 पत्रावली पायी गई। परिवादी की फर्म एवं अन्य संवेदकों की उक्त मूल पत्रावलियों एवं बिलों के अवलोकन से पाया गया कि उक्त पत्रावलियों में बिलों के भुगतान संबंधित कार्य में कनिष्ठ अभियंता/अधिशाषी अधिकारी के हस्ताक्षर भुगतान हेतु किये हुए है, केवल नगर पालिका की चैयरमेन के हस्ताक्षर किया जाना शेष है। चूंकि विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित उक्त मूल पत्रावलियों में परिवादी एवं अन्य संवेदकों को भुगतान संबंधी कार्यवाही की जानी है, इसलिए उक्त पत्रावलियों को आईन्दा नगर पालिका, कांमा के संबंधित सक्षम अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द कर इनकी सत्यापित प्रतियां प्राप्त किये जाने हेतु सुरक्षित रखा गया। चूंकि उक्त मकान में ट्रैपकार्यवाही की लिखापढ़ी के लिए पर्याप्त स्थान एवं व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। अतः कार्यवाही की लिखापढ़ी हेतु मन निरीक्षक पुलिस मय श्री हरिसिंह, दोनों गवाहान एवं परिवादी तथा हमराह जाप्ता के मय जब्तशुदा माल वजह सबूत धोवण की शिशिया, रिश्वती राशि इत्यादि के जरिये सरकारी व निजी वाहनों से आरोपी श्री भगवानदास के निवास कल्याण मोहल्ला से रवाना होकर पुलिस थाना कांमा पहुंचा। जहां पहुंच कर थाना कार्यालय के कम्प्यूटर कक्ष में बैठकर कर ट्रैपकार्यवाही की लिखापढ़ी की गई।

ट्रैपकार्यवाही की भनक लग जाने पर आरोपी श्री भगवान दास खण्डेलवाल द्वारा मकान की छत से होकर मौके से फरार हो जाना एवं आरोपी श्री श्याम बिहारी, अधिशाषी अधिकारी को भी ट्रैपकार्यवाही की भनक लग जाने से मौके से फरार होकर अपना मोबाइल स्वीच ऑफ कर लिया गया है। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री भगवान दास, चैयरमैन पति, नगर पालिका, कांमा, जिला भरतपुर एवं आरोपी श्री श्याम बिहारी, अधिशांषी अधिकारी द्वारा परिवादी की राजाराम सिंह द्वारा नगर पालिका, कांमा में सी.सी. निर्माण कार्यों एवं बरामदा आरसीसी के कार्यों से संबंधित बिलों के भुगतान के एवज में आरोपी श्री भगवान दास, चैयरमैन पति द्वारा 1,32,000/–रूपयों एवं आरोपी श्री श्याम बिहारी, अधिशाषी अधिकारी द्वारा 4,000/–रूपये की रिश्वत की मांग कर मांग के अनुशरण में आज दिनांक 13.07.2022 को आरोपी श्री भगवान दास,चैयरमेन पति द्वारा 1,30,000/–रूपये प्राप्त कर अपनी टेबल पर रखना एवं बाद में प्राइवेट चालक श्री हरिसिंह पुत्र स्व0 श्री छीदाराम, उम्र 34 साल, जाति जाटव, निवासी ग्राम बिलोंद, पुलिस थाना कांमा, जिला भरतपुर को बुलाकर उसे देकर नीचे भेज देना जिसके द्वारा रिश्वती राशि आरोपी भगवान दास के मकान में खडी स्कूटी की डिक्की में रखना, जहां से बरामद होना का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 बी भादंसं. में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर उक्त आरोपी श्री हरिसिंह पुत्र स्व0 श्री छीदाराम, उम्र 34 साल, जाति जाटव, निवासी ग्राम बिलोंद, पुलिस थाना कांमा, जिला भरतपुर हाल प्राइवेट चालक श्री भगवान दास को उसके जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारों से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया तथा घटनास्थल का मौका मुआयना कर नक्शा मौका पृथक से तैयार किया गया। दिनांक 14.07.2022 को ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाये गये विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताए दिनांक 12.07.2022 एवं रिश्वत लेन देन वार्ता दिनांक 13.07.2022 सुरक्षित/सेव है को बाहर निकाल कर लैपटॉप से जोड़कर चलाकर सुना जाकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई उक्त वार्ताओं की लैपटॉप के जरिये छः प्रति सीडी तैयार की गई। रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत राशि आदान–प्रदान के समय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में काम में लिया गया मेमोरी कार्ड जप्त किया गया।

सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट, फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द गिरफ्तारी, फर्द निरीक्षण घटनास्थल,रिश्वत

राशि लेन देन वार्ता एवं मौके की हालात से पाया गया कि आरोपी श्री भगवान दास, चैयरमैन पति, नगर पालिका, कांमा, जिला भरतपुर एवं आरोपी श्री श्याम बिहारी, अधिशांषी अधिकारी द्वारा लोकसेवक होते हुये परिवादी श्री राजाराम सिंह द्वारा नगर पालिका, कांमा में सी.सी. निर्माण कार्यों एवं बरामदा आरसीसी के कार्यों से संबंधित बिलों के भुगतान के एवज में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी से वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण के रूप में आरोपी श्री भगवान दास, चैयरमैन पति द्वारा 1,32,000/–रूपयों एवं आरोपी श्री श्याम बिहारी, अधिशाषी अधिकारी द्वारा 4,000/–रूपये की रिश्वत की मांग कर मांग के अनुशरण में दिनांक 13.07.2022 को आरोपी श्री भगवान दास,चैयरमेन पति द्वारा 1,30,000/–रूपये प्राप्त कर अपनी टेबल पर रखना एवं बाद में प्राइवेट चालक श्री हरिसिंह पुत्र स्व0 श्री छीदाराम, उम्र 34 साल, जाति जाटव, निवासी ग्राम बिलोंद, पुलिस थाना कांमा, जिला भरतपुर को बुलाकर उसे देकर नीचे भेज देना जिसके द्वारा रिश्वती राशि आरोपी भगवान दास के मकान में खडी स्कूटी की डिक्की में रखना, जहां से बरामद होना, प्रथम दृष्टया अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018 व 120 बी भारतीय दण्ड संहिता का कारित करना प्रमाणित पाया जाता है। श्रीमती गीता खण्डेलवाल, चैयरमेन, नगर पालिका, कामां की उपस्थिति में उसके पति श्री भगवान दास द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर श्री हरिसिंह के साथ भेजना तथा परिवादी की मूल भुगतान पत्रावलियॉ जिन पर केवल श्रीमती गीता खण्डेलवाल, चैयरमैन के हस्ताक्षर करने शेष हैं, का दौराने कार्यवाही बरामद होना एवं रिश्वत राशि लेन–देन के समय परिवादी के साथ श्रीमती गीता खण्डेलवाल की भी अस्पष्ट वार्ता होना श्रीमती गीता खण्डेलवाल, चैयरमैन, नगर पालिका कामां जिला भरतपुर की अपराध में संदिग्ध भूमिका को इंगित करता है। अतः आरोपीगण – 1. श्री भगवान दास खण्डेलवाल पुत्र श्री होतीलाल निवासी 37, कल्याण मौहल्ला, कस्बा कामां, जिला भरतपुर हाल चैयरमैन पति, नगर पालिका, कांमा जिला भरतपुर 2. श्री श्याम बिहारी पुत्र श्री रामगोपाल, निवासी 394, छींगटी मौहल्ला जारगा, तहसील बसेडी,धौलपुर हाल अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कांमा जिला भरतपुर 3. श्री हरिसिंह पुत्र स्व0 श्री छीदाराम, उम्र 34 साल, जाति जाटव, निवासी ग्राम बिलोंद, पुलिस थाना कांमा, जिला भरतपुर हाल प्राईवेट चालक एवं 4. अन्य के विरूद्व विस्तृत अनुसंधान हेतु उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित है।

(रघुवीर शरण शर्मा)
पुलिस निरीक्षक
विशेष अनुसंधान इकाई
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रघुवीर शरण शर्मा, पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान इकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री भगवान दास खण्डेलवाल, हाल चैयरमैन पति, नगर पालिका कांमा, जिला भरतपुर, 2. श्री श्याम बिहारी, हाल अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका कांमा, जिला भरतपुर, 3. श्री हरिसिंह पुत्र स्व0 श्री छीदाराम, निवासी ग्राम बिलोंद, पुलिस थाना कांमा, जिला भरतपुर, प्राईवेट चालक एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 285/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

15.7.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 2504-08 दिनांक 15.7.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

15.7.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।